न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 21/22 दायरा दिनांक 06.07.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

नक्टू पुत्र ज्ञानी उम्र 65 वर्ष जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

मोहनसिंह पुत्र गज्जू उम्र 54 वर्ष जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां

– अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. 1955

निर्णय दिनांक– 16.07.2024

उपस्थित – प्रार्थी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से – श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट

प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम देवरी पटवार हल्का देवरी तहसील शाहाबाद के खाता संख्या नई 292 पुरानी 282 में आराजी खसरा नम्बर 1639/1 रकबा 2.18 बीघा स्थित है, जिसे प्रार्थनापत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के एकमात्र खाते व कब्जे काश्त की है, जिसमें किसी अन्य को दखलन्दाजी करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी का मूल खसरा नम्बर 1639 तथा मूल रकबा 5.15 बीघा रहा है, जो प्रार्थी तथा अप्रार्थी के नाम हिस्सा बराबर से संयुक्त खाता दर्ज थी, जिसका प्रार्थी तथा अप्रार्थी ने वर्ष 2007 में आपसी सहमति से विभाजन कर लिया है, बाद विभाजन खसरा नम्बर 1639 रकबा 5.15 बीघा में से रकबा 2.17 बीघा उत्तरी अप्रार्थी को तथा 2.18 बीघा दक्षिणी विवादित आराजी प्रार्थी को प्राप्त हुई है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी तथा नक्शे में अंकित है। इसके बावजूद अप्रार्थी जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी पर अवैध कब्जा करना चाहता है। दिनांक 20.06.2022 को अप्रार्थी ट्रेक्टर लेकर विवादित आराजी पर आ गया और जबरन विवादित आराजी को हांकने का प्रयास किया। प्रार्थी ने रोका व मना किया तो गाली–गलौच कर झगडा करने तैयार हो गया, बडी मुश्किल से प्रार्थी ने अप्रार्थी को विवादित आराजी में ट्रेक्टर चलाने से रोका, परन्तु अप्रार्थी ने जाते समय प्रार्थी को धमकी दी है कि वह वर्षा होते ही विवादित आराजी में फसल बोयेगा और प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करेगा, अप्रार्थी की उक्त धमकी व कृत्य से प्रार्थी के हकूक मालिकाना विवादित आराजी को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है, अप्रार्थी जबरन प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी पर जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है, यदि अप्रार्थी ने बलपूर्वक प्रार्थी को विवादित आराजी में फसल बो दी और प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नही हो सकेगा, इस प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, अतः प्रार्थनापत्र पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तस्फीसला वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested

16.07.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1639/1 रकबा 2.18 बीघा ग्राम देवरी पटवार हल्का देवरी तहसील शाहाबाद के किसी भी भाग पर फसल बोकर कोई अवैध कब्जा अथवा अतिकमण नहीं करे, ना ही प्रार्थी को बेदखल करे और प्रार्थी के स्वतंत्र कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न अन्य से करावे, अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान मुनासिब समझे प्रार्थी को प्रदान की जावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थनापत्र की सभी मद को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सहित ग्राम देवरी में कुल किता 11 की कुल आराजी 21.06 बीघा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के सहखाते की रही है, जिसमें प्रार्थी तथा अप्रार्थी का हिस्सा 1/2–1/2 रहा है, प्रार्थी तथा अप्रार्थी के मध्य आपसी सहमति से नामान्तरकरण संख्या 1844 दिनांक 14.12.2007 से विभाजन हुआ है लेकिन विभाजन स्कीम में हिस्से की दिशायें दर्ज नहीं की गई, न ही नक्शा तरमीमी किया गया लेकिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी बिना किसी विवाद के अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये। विवादित खसरा नंबर 1639 रकबा 5.15 बीघा की किस्म चाही 2 रकबा 3.16 बीघा एवं जाव 2 रकबा 1.19 बीघा रहा है जिसमें से आपसी सहमति विभाजन में चाही 2 में से 2 बीघा तथा जाव 2 में से 17 विस्वा भूमि अप्रार्थी को दी गई है तथा चाही 2 में से 1.16 बीघा व जाव 2 में से 1.02 बीघा भूमि प्रार्थी को दी गई है इसी अनुसार प्रार्थी पश्चिम दिशा में तथा अप्रार्थी पूर्व दिशा में काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 04.09.17 को विवादित भूमि के नक्शे की नकल हल्का पटवारी से ली उसमें ख. नं. 1639 में नक्शा तरमीम नहीं हो रहा है लेकिन दिनांक 20.06.22 को नकल ली तो उसमें नक्शा तरमीम करते हुये उत्तरी हिस्सा अप्रार्थी को तथा दक्षिणी हिस्से को प्रार्थी की आराजी बताते हुये गलत तरमीम करा ली जिससे काश्त को लेकर मौके पर विवाद हो गया। उक्त गलत तरमीम को सही कराने हेतु दिनांक 22.06.22 को तहसीलदार साहब शाहावाद को प्रार्थनापत्र पेश किया, जिस पर रिपोर्ट तलब की गई तो प्रार्थी का खेत पश्चिम दिशा में तथा अप्रार्थी का खेत पूर्व दिशा में होना पाया है इस तरह प्रार्थी द्वारा विवाद करने की नीयत से विवादित ख. नं. की तरमीम पटवारी हल्का से मिलकर दिनांक 04.09.17 से दिनांक 20.06.22 के मध्य की अवधि में किसी भी समय कराई गई है जो मौके पर पक्षकारान के कब्जे एवं विभाजन आदेश के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जाकर तथा अप्रार्थी का काउन्टरक्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावें कि वह अप्रार्थी के हिस्से की 2.17 बीघा पूर्वी हिस्से पर कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे न बीच की मेढ को मिटावे।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि मूल ख.नं. 1639 रकबा 5.15 बीघा ग्राम देवरी का प्रार्थी तथा अप्रार्थी के मध्य आपसी सहमति से बंटबारा हुआ है और प्रार्थी के खाते की अन्य आराजी ख.नं. 1640 से लगी होने के कारण बंटबारे [illegible] 1639 का दक्षिणी हिस्सा 2.18 बीघा प्रार्थी को दिया गया है इसी अनुसार [illegible] तरमीम है, जिसमें अप्रार्थी को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी का कथन है कि विभाजन उत्तर दक्षिण नहीं होकर पूर्व तथा पश्चिमी हुआ है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested

m/16.07.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

CamScanner

पूर्वी हिस्सा 2.17 बीघा अप्रार्थी को एवं पश्चिमी हिस्सा 2.18 बीघा प्रार्थी को प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी को दखलन्दाजी करने का कोई हक नहीं है। दोनो ही पक्ष वर्ष 2007 में आपसी सहमति से विवादित आराजी के बंटबारे के तथ्य को स्वीकार करते हैं, परन्तु प्रार्थी के मुताविक विभाजन उत्तरी दक्षिणी और अप्रार्थी के मुताविक विभाजन पूर्वी पश्चिमी हुआ है, जो दोनो पक्षों की साक्ष्य हो जाने के उपरान्त मूल वाद में तय किया जाना उचित होगा। तब तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो को एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने बावत पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा अप्रार्थी का काउन्टरक्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी तथा अप्रार्थी दोनो को मूल वाद के निर्णय होने तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 1639/1 रकबा 2.18 बीघा एवं ख.नं. 1639 रकबा 2.17 बीघा ग्राम देवरी तहसील शाहावाद के बावत एक दूसरे के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करेंगे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

16.07.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner